10. उद्योग या अन्य संगठन में परियोजना कार्य :–

(1) खोज एवं विकास संगठन जहाँ खोज कार्य हेतु सुविधा दी गयी है प्रायोजित अभ्यर्थी द्वारा उक्त क्षेत्र में जहाँ उन्हे नौकरी मिला हुआ है पाठ्यक्रम पूरा करेगें। उक्त हेतु संगठन द्वारा उन्हें अनुमति दिया जा सकेगा।

(2) नियमित अभ्यर्थी को भी परियोजना एवं शोध कार्य हेतु अनुमति प्रतिष्ठित खाज एवं विकास इकाई एवं अन्य प्रतिष्ठित संगठन में दिया जायेगा।

(3) विद्यार्थी जिन्हें उद्योग में परियोजना एवं शोध कार्य हेतु अनुमति दी गयी है या खोज एवं विकास इकाई एवं अन्य प्रतिष्ठित संगठन द्वारा उन्हे शिक्षण एवं अन्य खर्च विश्वविद्यालय को उक्त कार्य अवधि के लिये दिया गया हो। वे विश्वविद्यालय से किसी वजीफा/छात्रवृत्ति/अधिछात्रवृत्ति प्राप्ति योग्य नहीं होगें। यदि उनके द्वारा उद्योग/संगठन से कोई वित्तीय सहायता परियोजना/शोध कार्य के लिये लिया जा रहा हो।

11. प्रदर्शन आधारित श्रेणी प्रणाली :–

(1) प्रत्येक पाठयक्रम में पदर्शन के आधार पर श्रेणी के लिये पाठयक्रम तथा शैक्षणिक नीति समिती को शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुशंसा की जायेगो। उक्त अनुमोदन किसी सेमेस्टर के लिये किया जा सकेगा।

(2) प्रत्येक विद्यार्थी को किसी पाठयक्रम के लिये पंजीयन कराना होगा जिसे उसे लेटरग्रेड मिले। लटरग्रेड संयुक्त प्रदर्शन सेमेस्टर अंत परीक्षा (ई.एस.ई) एवं उन्नति पुर्नविलोकन परीक्षा (पी.आर.ई) में किये गये अनुसार दिया जायेगा।

(3) लेटरग्रेड का उपयोग किया जायेगा जिसकी गणना समकक्ष (ग्रेड प्वाइंट) शैक्षणिक परिषद द्वारा विनियमन के आधार पर किया जायेगा।

(4) लेटरग्रेड प्रत्येक विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक एवं प्रत्येक अवयव पाठयक्रम के लिये प्रथक पृथक दिया जायेगा।

(5) सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसतन;
सेमेस्टर ग्रेड प्वाईट औसतन (एस.जी.पी.ए) किसी सेमेस्टर के लिये औसतन पाठयक्रम ग्रेड प्वाइंट किसी विद्यार्थी द्वारा किसो सेमेस्टर में उसके प्रदर्शन के आधार पर होगी। एस.जी.पी.ए. प्रत्येक सेमैस्टर के लिये का आंकलन शैक्षणिक परिषद के विनियमन अनुसार होगी।

(6) संयुक्त ग्रेड प्वांइट औसतन सी.जी. पी.ए. पाठयकम के औसतन ग्रेड प्वाइंट किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सभी पाठयकम में उसक प्रवेश डिग्री कार्यकम होगी जो उसको संयुक्त प्रदर्शन दर्शायेगा। सी.जी.पी.ए. एनजी सेमेस्टर के अंत में आंकलन किया जायेगा जो शैक्षणिक परिषद के विनियमन अनुसार होगा।

(7) प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एस.जी.पी.ए. एवं सी.जी. पी.ए. का आंकलन दशमलव के 2 अंक तक सपूर्ण संख्यांक किये होगा।

(8) किसी विशेष विषय में उत्तीर्ण होने न्यूनतम ग्रेड एवं ग्रेड प्वाइंट का निर्धारण शैक्षणिक परिषद के विनियमन अनुसार होगा।

(9) किसी विद्यार्थी का सभी आंकलन उसे आबंटित विशेष विषय जहॉ उसने उत्तीर्ण किया हो, से किया जायेगा ।

(10) किसी व्यक्ति को डिगो प्रदाय करने न्यूनतम सी.जी.पी.ए. प्राप्त करना होगा जिसके संबंध में शैक्षणिक परिषद द्वारा विनियमन तैयार किया गया है।

(11) अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के अंत में अंतिम परीक्षा ग्रेड सीट पाठयकम हेतु सी.जी.पी.ए. दर्शित अनुसार होगा। सी.जो.पी.ए. द्वारा इस संबंध में समकक्ष प्रतिशत अंक प्राप्तांक के बराबर संपरिवर्तन किया जा सकेगा जो शैक्षणिक परिषद द्वारा बनाये गये विनियमन अनुसार होगा।

12. प्रतिलिपि :–

किसी विद्यार्थी को पाठयकम पूर्ण किये जाने के पश्चात संयुक्त अभिलेख संपूण पाठयकम, सेमेस्टर अनुसार उसे प्राप्त ग्रेड एस. जी.पी.ए. एवं अंतिम सी.जी.पी.ए. की प्रतिलिपि दी जायेगी ।

13. यह कि प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि एम. टेक. उपाधि हेतु अध्ययन पाठ्यकम, कम से कम सुसंगत विनियमों / यू.जी.सी. या संबंधित संवैधानिक निकायो, जैसी भी स्थिति हो, के मापदण्डों द्वारा नियत मानक के अनुरूप हो।

ओ.पी.जिन्दल विश्वविद्यालय रायगढ, छत्तीसगढ़

अध्यादेश कमांक 05

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पी.एच.डी.

(अधिनियम की धारा 28 (1) (बी) के अंतर्गत)

1. प्रयोज्यता :–

डॉक्टर आफ फिलासफी डिग्री किसी अभ्यर्थी को प्रदाय किया जायेगा जो इस अध्यादेश के प्रावधान के तहत शोध प्रस्तुत किया हो जिसका मूल खोज आधार या विशेष विषय या एक से अधिक विषय के अद्यतन ज्ञान में योगदान दिया गया हो।

2. अनुसंधान समिती विभाग (डीआर.सी) :–

पी.एच.डी. डिगो से संबंधित सभी शैक्षणिक विषय अनुसंधान समिति विभाग (एतद पश्चात डी.आर.सी. कहा जायेगा।) में निम्नानुसार होगा।

(1) संबंधित विभाग प्रमुख – अध्यक्ष
(2) तीन विभागीय सदस्यगण जो विभागीय शिक्षको में से सकिय एवं कार्यशील हो।
(3) दो बाह्य विशेषज्ञ कुलपति द्वारा नामांकित डी.आर. सी की बैठक संचालन में कम से कम चार सदस्य होगें जिसमें एक बाहरी विशेषज्ञ होगें।

3. अनुसंधान डिग्री समिती (आर.डी.सी.) :–

(1) अनुसंधान डिग्री समिति (जिसे इसके पश्चात आर.डी.सी. कहा जावेगा) अनुसंधान कार्य की उपयुक्त व्यवस्था का जिम्मेदार होंग। जिसके लिये पी.एच.डी. डिगो प्रदाय किया जाना है। समिती में निम्नांकित सदस्य गठित होगें।

(1) कुलपति या उसके नामिनी – अध्यक्ष
(2) संबंधित विभाग/अध्ययनशाला के डीन
(3) संबंधित विषयो के अध्ययन मण्डल अध्यक्ष
(4) दो प्रोफेसर /सहायक प्रोफेसर, विभाग से कुलपति द्वारा नामित
(5) दो बाहरी विशेषज्ञ जिसे सबंधित अध्ययनमण्डल के अध्यक्ष द्वारा पॉच विशेषज्ञो के पैनल में से कुलपति द्वारा नामित।

(2) चार सदस्यगण जिसमें एक बाहरी विशेषज्ञा से आर.डी.सी. का बैठक का कोरम पूरा होगा। पर्यवेक्षक /सहायक पर्यवेक्षक

अभ्यर्थी के मौखिक प्रदर्शन के दौरान उपस्थित रहने का अधिकारी है।

(3) पर्यवेक्षक/सहायक पर्यवेक्षक को आर.डी.सी बैठक में भाग लेने कोई टी.ए., डी.ए. नहीं दिया जायेगा।

(4) आर.डी.सी. का बैठक विश्वविद्यालय या कार्यालय में किया जायेगा। आर.डी.सी. बैठक की कार्यवाही शैक्षणिक परिषद द्वारा विनियमन अनुसार की जायेगी। समिति द्वारा डी.आर.सी. का प्रस्ताव, पर्यवेक्षक, सहायक पर्यवेक्षक के अनुमोदन एवं उपयुक्त सुनिश्चित पाये जाने पर विचार किया जायेगा। यदि प्रस्ताव उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो समिती द्वारा डी.आर.सी को अन्य प्रस्ताव प्रस्तुती हेतु कहा जायेगा ।

(5) समिती द्वारा औपचारिक अनुशंसा अभ्यर्थी के पी.एच.डी. डिग्री पंजीयन हेतु भी किया जायेगा ।

4. प्रवेशनीति एवं प्रकिया :–

विश्वविद्वालय द्वारा अभ्यार्थी के पी.एच.डी डिगो एवं प्रवेश प्रकिया का पंजीयन नीति शैक्षणिक परिषद एवं यू.जी.सी. विनियमन द्वारा विनियमन के अनुसार किया जायेगा ।

5. पी.एच.डी. डिग्री पंजीयन हेतु योग्यता :–

किसी अभ्यर्थी का पी.एच.डी. पंजीयन उसके मास्टर डिग्री या संबंधित विषय में 55 प्रतिशत प्राप्तांक या विश्वविद्यालय मान्य विश्वविद्यालय या अन्य कोई निगमित विधिक विश्वविद्यालय जो उपरोक्त समय विश्वविद्यालय के रूप में मान्य किया गया हो या एम.फिल डिग्री नियमित पाठयकम के तहत किसी विश्वविद्यालय, मान्य विश्वविद्यालय, या अन्य कोई निगमित विश्वविद्यालय जो उक्त समय विश्वविद्यालय बतौर मान्यता रखता है द्वारा समकक्ष ग्रेड के आधार पर आवेदन के समय किया जायेगा ।

फिर भी ऊपर योग्यता एवं पी.एच.डी कार्यकम के लिये प्रकिया यू. जी.सी. विनियमन 2009 के प्रावधान अनुसार किया जायेगा।

6. अनुसंधान अवधि एवं विस्तार :–

पी.एच.डी. कार्यकम पूर्णता हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि शैक्षणिक परिषद के विनियमन द्वारा निश्चय किया गया है। यदि कोई अभ्यथी उक्त समयावधि के भीतर कार्यकम पूर्ण करने में असफल होता है, किसी कारण वश विशेषित पूर्ण अवधि में विस्तार शैक्षणिक परिषद के द्वारा इस संबंध में समय समय पर विनियमन अनुसार दिया जायेगा ।

7. आवासीय अपेक्षाए :–

पी.एच.डी. कार्यकम अनुसरण करने वाले अभ्यर्थो से आवासीय अपेक्षाए शैक्षणिक परिषद के नियम एवं विनियमन अनुसार, यू.जी. सी. विनियमनों से किया जायेगा।

8. अनुसंधान पर्यवेक्षण /सहायक पर्यवेक्षक की योग्यताए :–

(1) उक्त विषय मे विश्वविद्यालय के अंतर्गत सहायक प्रोफेसर से कम पद का न हो जो विश्वविद्यालय मे उक्त विषय में डाक्टोरेट डिग्री प्राप्त हो तथा उसके द्वारा मानक जनरल में शोध प्रकाशन किया गया हो तथा पिछले 05 वर्षो से संबंधित क्षेत्र में अनुभवी हो। फिर भी उपरोक्त के आलावा यू.जी.सी. द्वारा मानक का पालन किया जायेगा ।

(2) मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक जो अनुसधान पत्र का प्रकाशन पिछले 05 वर्षो से करने में असफल है उसे नामांकित नये अभ्यर्थी के पर्यवेक्षक की योग्यता नहीं होगी। वह व्यक्ति जो पर्यवेक्षक/ सहायक पर्यवेक्षक के रूप में सेवानिवृत्ति पश्चात भी मान्य है । फिर भी इस प्रकरण में सेवा निवृत्ति पश्चात विभागाध्यक्ष से अनुमती प्राप्त करना होगा। डी.आर.सी. द्वारा एक अतिरिक्त सहायक पर्यवेक्षक जो कि सेवा में है विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित अनुसंधान केन्द्र से लिया जायेगा ।

(3) उस व्यक्ति को बतौर सहायक पर्यवेक्षक अनुसंधानकृत विद्यार्थी के मार्गदर्शन हेतु अनुसंशित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित से कोई एक हो।

अ. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक;

ब. कोई अधिकारी जो राज्य/केन्द्रीय शासन के संगठन में कार्यरत हो एवं उस विषय में डाक्टरेट डिग्री प्राप्त हो तथा पिछले 05 वर्षो में ख्याति प्राप्त जनरल (आई.एस.एस.एन) में अनुसंधान पत्र प्रकाशित किया हो व कम से कम दो वर्षो का शैक्षणिक/ अनुसंधान अनुभव रखता हो;

स. कोई वैज्ञानिक/संचालक अनुसंधान संस्था/संठगन / स्थापना/प्रयोगशाला विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त जिसके द्वारा डाक्टोरेट डिग्री प्राप्त किया गया हो एवं जिसके द्वारा 5 संबंधित विषय में अनुसंधान पत्र प्रकाशित किये गये हो व कम से कम दो वर्षो का डाक्टरोल अनुसंधान पश्चात अनुभव प्राप्त हो।

द. कोई पर्यवेक्षक को आठ से अधिक पी.एच.डी. विद्यार्थी किसी एक समय में अनुसंधान हेतु नहीं दिया जायेगा ।

9. पर्यवेक्षक का परिवर्तन :–

किसी विशेष परिस्थिति में अभ्यर्थी को उसका पर्यवेक्षक परिवर्तन की अनुमति आर.डी.सी.के. की अनुशंसा पर होगी, फिर भी पर्यवेक्षक के परिवर्तन पर अनुसंधान के मुख्य विषय पर कोई परिवर्तन नहीं होगा।

10. अनुसंधान कार्य प्रगति पुनर्विलोकन :–

(1) अभ्यार्थी को प्रत्येक 06 माह में अपना हाजिरो, शुल्क, अदायगी रसीद एवं कार्य का प्रगति प्रतिवेदन अपने पर्यवेक्षक के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा।

(2) पिछले 06 माह की कार्य की प्रगति अभ्यर्थी द्वारा आर.डी. सी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुती करने के समय उसका पर्यवेक्षक/सह पर्यवेक्षक भी उपस्थित रहेगा।

(3) यदि दो लगातार प्रतिवेदन में प्रगति कार्य संतोष जनक नहीं पाया जाता है एवं प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा पिछले 01 वर्ष में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया हो या अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क अदा करने में असफल हो उसे कुलपति द्वारा आर. डी.सी के अनुसंशा पर शोध छात्र को पी.एच.डी. डिग्री हेतु पंजीयन की सूची से हटाने हेतु आदेश दिया जा सकेगा।

11 शोध प्रबंधन की रूप रेखा प्रस्तुती एवं प्रदर्शन :–

(1) शोध प्रबंध प्रस्तुती के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा डी.आर.सी. के समक्ष पूर्व पी.एच.डी. पदर्शन देना होगा। इसस सभी विषय सदस्यों तथा शोध विद्यार्थियो द्वारा इस पर टीप व पुष्टि जिससे उसे पर्यवेक्षक के परामर्श यथोचित शोध पत्र बनाया जाने पर सहायता मिल सकेगी।

(2) अभ्यर्थी को शोध प्रबंध का 6 प्रति संक्षेप में प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ कम से कम दो शोध पत्र प्रकाशित या प्रकाशन हेतु मानक जनरल में स्वीकृति उसके पर्यवेक्षक के माध्यम से कुलसचिव को बैठक के अनुमानित दो माह पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(3) पर्यवेक्षक द्वारा परोक्षक का कम से कम 05 नाम दो तालिका में प्रस्तुत करना होगा एक तालिका में ख्याति नाम विदेशी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर एवं दूसर तालिका में भारतीय विश्वविद्यालय/ संस्था (अधिमानतः आई.आई.टी. एवं एन.

आई.टी.) प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर जो शोध कार्य में सकीय हो बशर्ते उस विषय के परिक्षक अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष से प्राप्त न किया गया हो जिसमें पर्यवेक्षक का संबंध अभ्यर्थी से हो।

(4) शब्द संबंध में पिता, माता ,पत्नि, पति, पुत्री, पुत्र, नातो, नातिन, भाई, बहन, भतीजा, भतीजी, भतीजा नाति, भतीजी नातो, चाचा, चाची, दामाद, बहु, ससुर, प्रथम चचेरे ससुराल रिश्तेदार आदि है।

(5) शैक्षणिक परिषद द्वारा विनियमन अनुसार कुलपति द्वारा दो परोक्षक का नाम अनुमोदित किया जावेगा। जिसके लिये उन्हें शोध प्रबंध का सार भेजा जायेगा। यदि उनमें से एक या दोनो परिक्षक द्वारा इससे इंकार किया जाता है तब वैकल्पिक परीक्षक का नाम कुलसचिव द्वारा उसी तालिका से दिया जायेगा। इस संबंध में उनके द्वारा संबंधित परीक्षक से सहमती प्राप्त की जायेगी।

12 पी.एच.डी. शोधप्रबंध की संरचना :–

निम्नांकित विशिष्टता प्रत्येक अभ्यर्थी को पी.एच.डी. शोध प्रबंध तैयार किये जाने के समय हो;

(1) अभ्यर्थी द्वारा इस संबंध मे टाईपोग्राफिक पपत्र, विषयवस्तु, प्रथम पेज, घोषणा, प्रमाण पत्र, पेज संख्या, एवं शोधप्रबंध का अनुलग्न विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार करना होगा।

(2) अभ्यर्थी द्वारा प्रकाशित पत्रो को शोध प्रबंध के साथ अनुलग्न करना होगा।

13. शोध प्रबंध की प्रस्तुती :–

(1) पी.एच.डी. अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक परिषद के नियमानुसार विशेषित जनरल में संबंधित शिक्षक मण्डल के अनुमोदन से शोध प्रबंध प्रस्तुती के पूर्व न्याय निर्णयन के लिये एवं साक्ष्य प्रस्तुती प्रपत्र में या स्वीकारणीय पत्र या स्वीकृत पत्र के साथ प्रेषित करना होगा। यह प्रस्तुती पी.एच.डी. शोध प्रबंध के साथ करना होगा।

(2) पी.एच.डी. शोध प्रबंध की छह प्रति (चार प्रतियॉ साफ्ट कवर एवं दो प्रति हार्डकवर) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की जावेगी। जिसके साथ पी.एच.डी. शोध प्रबंध का संक्षेप 06 प्रति में प्रस्तुत करना होगा। पी.एच.डी. शोध की साफ्ट प्रति भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा ।

(3) पी.एच.डी. शोध का सार एक पेज में (तीन प्रतियों के साथ) अभ्यर्थी द्वारा शोध प्रबंध के साथ प्रस्तुत किया जायेगा ।

(4) संक्षेप में 10 शब्दो से कम में होगी एवं संक्षेपाक्षर सूची शोध संक्षेप, शोध सार एवं शोध प्रबंध का सारांश साथ में प्रस्तुत किया जायेगा ।

14. शोध प्रबंध प्रकिया का मूल्यांकन :–

पी.एच.डी. मूल्यांकन प्रकिया शोध एवं संचालन मौखिक परीक्षा (शोध प्रबंध का मौखित प्रस्तुती) शैक्षणिक परिषद, यू.जी.सी. के इस संबंध में विनियमन अनुसार हागी।

15. अस्थाई प्रमाण पत्र एवं डिग्री :–

अभ्यर्थी को अस्थाई प्रमाण पत्र उसके सफलता पूर्वक मौखिक परीक्षा पूर्ण करने तथा कुलपति द्वारा इसका अनुमोदन एवं अनुवर्ती संशोधन शासी निकाय द्वारा किया गया हो से अस्थाई डिग्री निर्गमित किया जायेगा। इस संबंध में पी.एच.डी. प्रदाय करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना उक्त तिथी में जारी की जायेगी। यह डिग्री के उक्त तिथी मे यथोचित पुष्टि होगी। डिग्री का औपचारिक प्रदाय दीक्षांत समारोह को सुनिश्चित करेगी।

16 शुल्क अदायगी अनुसूचो :–

पी.एच.डी कार्यकम हेतु विभिन्न स्तर पर शुल्क प्रबंध मण्डल द्वारा निश्चित किया जायेगा । जिसे शैक्षणिक परिषद द्वारा घोषित अनुसूची अनुसार अभ्यर्थी द्वारा अदा किया जायेगा ।

17. पी.एच.डी कार्यकम का प्रारंभ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियमन आयोग (सी.जी.पी.यू.आर.सी.) के अनुमोदन पश्चात किया जायेगा।

18. यह कि प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि पी.एच.डी. उपाधि हेतु अध्ययन पाठ्यकम, कम से कम सुसंगत विनियमों / यू.जी.सी. या संबंधित संवैधानिक निकायो, जैसी भी स्थिति हो, के मापदण्डों द्वारा नियत मानक के अनुरूप हो।

ओ.पी.जिन्दल विश्वविद्यालय रायगढ, छत्तीसगढ़

अध्यादेश कमांक 06

बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बी.बी.ए.)त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यकम

(अधिनियम की धारा 28 (1) (बी) के अंतर्गत्)

1. प्रयोज्यता :–

(1) प्रबंधन में पूर्वस्नातक डिग्रीपाठयकम (तीन वर्षीय डिग्री पाठयकम संक्षेप में) तीन वर्षीय पाठयकम होगा जिसे इसके पश्चात तीन वर्षीय डिग्री पाठयकम कहा जायेगा एवं उसका नाम बैचलर आफ बिजनेश एडमिनिस्ट्रेशन बी.बी.ए. होगा।

(2) बी.बी.ए. की डिग्री प्रबंधन के विभिन्न प्रकोष्ट शाखाओं द्वारा प्रदाय किया जायेगा जैसा कि वह सीमित नही है पर सामान्य प्रबंधक, सूचना टेकनालाजी, सेवाए एवं उद्यमिता के लिये सफलता पूर्वक पाठयकम पूरा करने पर दिया जायेगा ।

(3) बी.बी.ए. अध्ययन एवं परीक्षाए पाठयकम में ग्रेड एवं आंकलन विद्याथिर्यो के द्वारा अर्जित किये जाने आधार पर होगा।

2. प्रवेश हेतु योग्यता :–

(1) बी.बी.ए प्रथम वर्ष पाठयकम में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता उच्चतर माध्यमिक स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण किसी मान्यता प्राप्त राज्य /राष्ट्रीय/अंतराष्टोय मण्डल/ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 60 प्रतिशत होग।

(2) बी.बी. ए पाठयकम में प्रवेश हेतु प्रारंभ में प्रत्येक सेमेस्टर या शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित प्रथम वर्ष स्तर में प्रवेश दिया जायेगा । प्रवेश नीति विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा निश्चय किया जायेगा वह यू.जी.सी., ए. आई.सी.टी. ई एवं राज्य शासन के निर्धारित मार्गदशन अनुसार होगा।

(3) अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई) मूल भारतीय उदगम व्यक्ति (पी.आई.ओ) एंव विदेशी नागरिक बशर्ते उनके पास समकक्ष 10+2

योग्यता / उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो उक्त अभ्यर्थी का प्रवेश विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा नीतिगत निर्णय, अनुसार होगा। बी.बी.ए पाठयकम में प्रवेश हेतु यू.जी.सी. एवं राज्य शासन के निम्नांकित मार्गदर्शन अनुसार होगा।

(4) बी.बी.ए पाठयकम में किसी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश अन्य संस्था/विश्वविद्यालय से स्थानांतरण पर दिया जा सकेगा। उक्त प्रवेश किसी भी स्तर विषय पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने पर दी जायेगी, फिर भी कोई विद्यार्थी को प्रथम वर्ष कार्यकम के दौरान कोई स्थानांतरण की अनुमती नहीं होगीं ।

(5) विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। उसे किसी भी स्तर पर अध्ययन के अंतराल में अभ्यार्थी का असंतोषजनक शैक्षणिक प्रदर्शन या कदाचरण को देखते हुए किया जा सकेगा।

3. पाठयकम अवधि :—

(1) पाठयकम की अवधि तीन वर्ष, छः सेमेस्टरो में विभाजित होगी।

(2) बी.बी.ए. के प्रत्येक विद्यार्थी से अपेक्षा होगी कि वह विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रायोगिक औद्योगिक संगठन में प्रशिक्षण कार्य चार सप्ताह के लिये समान्यतः गर्मी ऋतु के अवकाश पर करें। अभ्यर्थी से अपेक्षा है कि वह संबंधित संगठन के विभिन्न क्षेत्रो में प्रशिक्षण लेवे। संगठन द्वारा आयोजित विशेष परियोजना में अपना योगदान दे। एवं प्रशिक्षण अवधि में उसे पूरा करे। अभ्यर्थी को प्रशिक्षण अवधि में किय गय कार्य का प्रशिक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा, प्रशिक्षण प्रतिवेदन की अंतिम तिथि परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा निश्चत प्रशिक्षण पूर्ण करने की तारीख के एक माह पश्चात तक की होगी।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा छठवे सेमेस्टर परीक्षा पश्चात रूचिरत अभ्यर्थियो के लिये कैप्सटन सेमेस्टर का प्रस्ताव दिया जा सकेगा। यह आठ सप्ताह अवधि का होगा। उक्त हेतु पृथक से शुल्क लिया जायेगा इसका निश्चय पबंध मण्डल द्वारा किया जायेगा ।

(4) प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में सेमेस्टर के अंतराल सहित शैक्षणिक कार्यकम शक्षणिक परिषद द्वारा घोषित किया जायेगा।

(5) बी.बी.ए कार्यकम पूरा करने हेतु विद्यार्थियो को अधिकतम 05 वर्ष का समय दिया जायेगा। अधिकतम अवधि में वापसी,

अनुपस्थिती, विभिन्नप्रकार के अनुमति योग्य अवकाश में शामिल है। परन्तु प्रतिबंध अवधि यदि कोई हो वह इससे बाहय होगी।

(6) प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में सभी विद्याथियो को अपना पंजीयन कराना होगा। जो शैक्षणिक कलेंडर के निर्धारित अवधि के भीतर होगा।

4. परिक्षाए :—

(1) विश्वविद्यालय द्वारा प्रगति पुर्नविलोकन परीक्षा (पी.आर.ई) के तहत लगातार पुर्नमूल्यांकन करने की प्रणाली अपनायी जायेगा, जो सेमेस्टर एवं सेमेस्टर के अंत में परीक्षा (ई.एस.ई) से विद्यार्थी के आंकलन एवं प्रदर्शन उसके अध्ययन कार्यकम के दौरान दर्शायेगा।

(2) विस्तृत परीक्षा योजना सेमेस्टर के अंत में परीक्षा (ई.एस.ई) एवं प्रगति पुर्नविलोकन परीक्षा (पी.आर.ई) हेतु विस्तृत परीक्षा योजना पाठयकम के सभी अवयवो के लिये शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारण किया जायेगा ।

(3) शाला प्रमुख /केन्द्र संचालक द्वारा किसी विद्यार्थी को सेमेस्टर के अंत में परीक्षा देने से निरर्हता निम्नांकित आधार पर किया जा सकेगा।

अ. विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही;
ब. संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा संस्तुती करने पर;

(एक) समेस्टर में शैक्षणिक मण्डल के निश्चय अनुसार व्याख्यान/ शिक्षकीय/प्रायोगिक कक्षाओं में 75 प्रतिशत से न्यून उपस्थिती।
(दो) सेमेस्टर के दौरान पगति पुर्नविलोकन परीक्षा (पी.आर. इ.) अनुपालन असंतोषजनक पाया जाना।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा नियमित विद्यार्थिया के लिये प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में पूर्ण परीक्षा आयोजित की जायेगी। उक्त परीक्षा में वे योग्य विद्यार्थी भी शामिल हो सकेगें जो पिछले सेमेस्टर की परीक्षा के सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठयकम में अनुत्तीण या अनुपस्थित रहे है।

(5) शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के लिये प्रगति, पुर्नविलोकन परीक्षा में अनुत्तीण या अनुपस्थित रहन के बावजूद कुलपति के अनुमोदन से परीक्षा में भाग लेने आयोजित कर सकेगें।

(6) यदि कोई विद्यार्थी किसी सेमेस्टर के पूर्ण परीक्षा में उत्तीण होता है, उसे उक्त परीक्षा में श्रेणी/अंक /वर्ग सुधार या किसी अन्य उददेश्य के लिये शामिल होने की अनुमती नहीं होगी।

5. <u>कार्य का मूल्यांकन</u> :–

(1) अंक आधारित;

(अ) प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी के कार्यो का मूल्यांकन पाठयकम के प्रत्येक अवयव को देखते हुये नियमित मूल्यांकन सेमेस्टर के अंत परीक्षा (ई.एस.ई) एवं पगति पुर्नविलोकन परीक्षा (पी.आर.ई) के अनुसार किया जायेगा। पाठयकम में पाठयकम के प्रत्येक अवयव में अधिकतम अंक परीक्षा योजना की घोषणा शैक्षणिक परिषद द्वारा घोषित अनुसार होगी।

(ब) कोई अभ्यर्थी पाठ्यक्रम के किसी अवयव में उत्तीर्ण हतु पृथक से प्रगति, पुर्नविलोकन परीक्षा (पी.आर.ई) एवं सेमेस्टर के अंत परीक्षा (ई एस ई) पाठयकम अवयव में पृथक से उत्तीर्ण होना होगा।

(स) सेमेस्टर के अंत परीक्षा (ई एस ई) में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्ति हेतु एवं प्रगति, पुर्नविलोकन परीक्षा (पी.आर.ई) जैसा प्रत्येक पाठयकम हेतु शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित किया गया है, होगा।

(द) यदि कोई विद्यार्थी प्रगति, पुर्नविलोकन परीक्षा (पी.आर. ई) में किसी सैद्धांतिक एवं या प्रायोगिक (प्रयोगशाला) में अनुत्तीण होता है, उसे उस विषय के सेमेस्टर अंत परीक्षा भाग लेने हेतु अनुमति नहीं होगी।

(2) <u>आंकलन का आधार</u>;

(अ) एक घंटा का सम्पक व्याख्यान (एल) का आंकलन एक के बराबर होगा। दो घंटे का संपर्क व्याख्यान (टी) एवं/ या प्रायोगिक (पी) का आंकलन एक होगा। अतः आंकलन = (एल + (टी + पी) /2) । किसी विषय का आंकलन उसके पूर्ण अंक अनुसार होगा न कि भिन्नांश। यदि किसी विषय में भिन्नाश मिलता है तो उसे निकटतम पूर्णांक माना जावेगा। औद्योगिक प्रशिक्षणका आंकलन उक्त अवधि मे शैक्षणिक परिषद द्वारा विनियचित किया जायेगा।

(ब) किसी अभ्यर्थी को किसी सेमेस्टर के लिये प्राप्तांक एवं आंकलन आबंटित तभी किया जायेगा जब वह उक्त सेमेस्टर में उत्तीर्ण हो।

(स) कोई अभ्यर्थी बी.टेक डिग्री हेतु तभी योग्य माना जायेगा जब वह उक्त पाठयकम हेतु जहॉ उसने प्रवेश लिया है में सभी आंकलन प्राप्त किया हो।

6. उपस्थिति :–

कोई अभ्यर्थी नियमित छात्र के रूप में किसी सेमेस्टर परीक्षा हेतु 85 प्रतिशत उपस्थिति व्याख्यान एवं प्रायोगिक कक्षाओ पृथक पृथक विषय पाठयकम के लिये होगी। बशर्ते उपस्थिति में 5 प्रतिशत की कमी एवं पुनः 5 प्रतिशत छूट शाला प्रमुख एवं कुलपति विश्वविद्यालय कमशः द्वारा संतोषजनक कारण से किया जा सकेगा। फिर भी किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी जिसे 75 प्रतिशत से कम उपस्थिती रही है, हेतु सेमेस्टर अंत परीक्षा में भाग लेने शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्णित किया जा सकेगा।

7. उच्च सेमेस्टर में प्रोन्नती :–

किसी विद्यार्थी को बकलाग सैद्धांतिक /प्रायोगिक पूर्व सेमेस्टर में होने से अन्य बैकलाग (एन–2) में शामिल होने की अनुमती नहीं दी जायेगी जहॉ एन वर्तमान सेमेस्टर जिसमें विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है। उदारण के लिये यदि कोई विद्यार्थी तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश चाहता है परन्तु कोई बैकलाग प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में नहीं होगा ।

8. श्रेणी प्रणाली का आधार :–

(1) प्रत्येक विषय में श्रेणी का आंकलन संबधित विषय एवं शैक्षणिक नीति समिती द्वारा अनुशंसा से होगी जिसे शैक्षणिक परिसर एवं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। किसी सेमेस्टर में केवल अनुमोदित पाठयकम ही प्रस्तावित किया जा सकेगा।

(2) प्रत्येक विद्यार्थी को किसी पाठयकम में पंजीकृत होने के लिए उसे लेटरग्रेड श्रेणी प्रदान किया जायेगा। किसी विद्यार्थी को लेटर ग्रेड उसके संयुक्त प्रदर्शन सेमेस्टर अंत परीक्षा (ई.एस.ई) एवं प्रगति, पुर्नविलोकन परीक्षा (पी.आर.ई) के आधार पर होगा।

(3) लेटरग्रेड का उपयोग एवं उसके संख्या सूचक बराबर (ग्रेड प्वांइंट) कहा जायगा। जो शैक्षणिक परिसर के विनियमन अनुसार होगी।

(4) लेटर ग्रेड का प्रदाय प्रत्येक विषय सैद्धांनिक या प्रयोगिक एवं प्रत्येक अवयव पाठयकम के लिये पृथक से होगा।

(5) सेमेस्टर ग्रेड प्वांईट औसतन (एस.जी.पी.ए) किसी सेमेस्टर के लिये औसतन पाठयकम ग्रेड प्वाइंट किसो विद्यार्थी द्वारा किसी सेमेस्टर मे उसके प्रदर्शन के आधार पर होगा। प्रत्येक सेमैस्टर के लिये एस.जी.पी.ए. का आंकलन शैक्षणिक परिषद के विनियमन अनुसार होगा।

(6) संयुक्त ग्रेड प्वांइट औसतन सी.जी. पी.ए. पाठयकम के औसतन ग्रेड प्वाइंट किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सभी पाठयकम म उसके प्रवेश डिगो कार्यकम होगी जो उसके संयुक्त प्रदर्शन दर्शायेगा। सी.जी.पी.ए. एन जी सेमेस्टर के अंत में आंकलन किया जायेगा जो शैक्षणिक परिषद के विनियमन अनुसार होगा।

(7) प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एस.जी.पी.ए. एवं सी.जी. पी.ए. का आकलन दशमलव के 2 अंकों तक संपूर्ण संख्यांक किये होगा।

(8) किसी विशेष विषय में उत्तीर्ण होने न्यूनतम ग्रेड एवं ग्रेड प्वाइंट का निर्धारण शैक्षणिक परिषद के विनियमन अनुसार होगा।

(9) किसी विद्यार्थी का सभी आंकलन उसे आबंटित विशेष विषय जहॉ उसने उत्तीर्ण किया हो, से किया जायेगा।

(10) किसी व्यक्ति को डिगो प्रदाय करने हेतु न्यूनतम सी.जी पी. ए.प्राप्त करना होगा, जिसके संबंध में शैक्षणिक परिषद द्वारा विनियमन तैयार किया गया है ।

(11) अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के अंत में अंतिम परीक्षा ग्रेड सीट पाठयकम हेतु सी.जी.पी.ए. दर्शित अनुसार होगा। सी.जी.पी.ए. द्वारा इस संबंध में समकक्ष प्रतिशत अंक प्राप्तांक के बराबर संपरिवर्तन किया जा सकेगा जो शैक्षणिक परिषद द्वारा बनाये गये विनियमन अनुसार होगा।

9. प्रतिलिपि :-

किसी विद्यार्थी को पाठयकम पूर्ण किये जाने के पश्चात संयुक्त अभिलेख संपूण पाठयकम, सेमेस्टर अनुसार उसे प्राप्त ग्रेड एस.पी. जी.ए. एवं अंतिम सी.जी.पी.ए. की प्रतिलिपि दी जायेगी।

10. यह कि प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि बी.बी.ए. उपाधि हेतु अध्ययन पाठ्यकम, कम से कम सुसंगत विनियमों / यू.जी.सी. या संबंधित संवैधानिक निकायो, जैसी भी स्थिति हो, के मापदण्डों द्वारा नियत मानक के अनुरूप हो।

ओ.पी.जिन्दल विश्वविद्यालय रायगढ, छत्तीसगढ़

अध्यादेश कमांक 07

मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.) द्विववर्षीय डिग्री पाठ्यकम

(अधिनियम की धारा 28 (1) (बी) के अंतर्गत)

1. प्रयोज्यता :–

(1) प्रबंधन में पूर्वस्नातकोत्तर डिग्रीपाठयकम (दो वषीय डिग्री पाठयकम संक्षेप में) दो वर्षीय पाठयकम होगा जिसे द्विवर्षीय डिग्री पाठयकम कहा जायेगा एवं उसका नाम मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.) होगा।

(2) एम.बी.ए. की डिग्री प्रबंधन के विभिन्न प्रकोष्ट शाखाओ द्वारा प्रदाय किया जायेगा जैसा कि वह सीमित नही है पर सामान्य प्रबंधक, सूचना टेकनोलाजी, सेवाए एवं उद्यमिता के लिये सफलता पूर्वक पाठयकम पूरा करने पर दिया जायेगा ।

(3) एम.बी.ए. अध्ययन एवं परीक्षाए पाठयकम में ग्रेड एवं आंकलन विद्याथियों के द्वारा अर्जित किये जाने आधार पर होगा एवं मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री उस व्यक्ति को प्रदाय किया जाएगा जिन्होने अध्यादेश के प्रावधान अनुसार पाठयकम कार्य, परियोजना कार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप उल्लेखित समयावधि के भीतर पूर्ण किया हो।

2. प्रवेश हेतु योग्यता :–

(1) प्रवेश नीति विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा निश्चित किया जायेगा उक्त हेतु यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई एवं राज्य शासन द्वारा जारी मार्गदर्शन अनुसार किया जायेगा ।

(2) अभ्यर्थी जिन्हें स्नातक डिग्री (न्यूनतम त्रिवर्षीय कार्यकम) प्राप्त है एवं अधिमानतः उन्होने वैध प्रबंधन प्रवृत्ति परीक्षा जैसे कि सीएटी/एमएटी/एक्सएटी/राज्य प्रवेश परीक्षा /ओ.पी.जे.यू प्रवेश परीक्षा अनुमोदित न्यूनतम प्रतिशत शासी निकाय के मापदण्ड अनुसार न्यूनतम योग्यता प्राप्त हो जिन्होने एम.बी.ए पाठयकम में प्रवेश हेतु आवेदन किया है।

(3) यही नहीं जिन्हे उक्त पैरा 02 में उल्लेखित किया गया है प्रबंधन, प्रवृत्ति परीक्षा हेतु जिन्हे मान्यता प्राप्त संगठन के शासी निकाय द्वारा प्रायोजित किया गया है। एवं विदेशी नागरिको से उचित मार्ग द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है उन्हे एम.बी.ए.

पाठ्यक्रम में बिना योग्यता परीक्षा के प्रवेश हेतु विचार किया जावेगा। उनका प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में निर्धारित विनियमन अनुसार होगा।

(4) एम.बी.ए. डिग्री उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय के विनियमन के तहत प्रदाय किया जायेगा ।

3. पाठयकम अवधि :–

(1) एम.बी.ए. पाठ्यक्रम का सामान्य अवधि उसके परियोजना काल व इंटर्नशिप सहित चार सेमेस्टर का होगा। अभ्यर्थी को उसके परियोजना काल एवं इंटर्नशिप किसी उद्योग व अन्य संगठन में करने हेतु जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया हो में अनुमति होगी।

(2) एम.बी.ए. के प्रत्येक विद्यार्थी से अपेक्षा होगी कि वह विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रायोगिक प्रशिक्षण एवं इंटनशिप किसी औद्योगिक संगठन में चार सप्ताह के लिये समान्यतः गर्मी ऋतु के अवकाश पर करें। अभ्यर्थी से अपेक्षा है कि वह संबंधित संगठन के विभिन्न क्षेत्रो में प्रशिक्षण लेवे। औद्योगिक संगठन द्वारा आयोजित विशेष परियोजना में अपना योगदान द एवं प्रशिक्षण अवधि में उसे पूरा करे। अभ्यर्थी की प्रशिक्षण अवधि में किया गया कार्य का प्रशिक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा प्रशिक्षण प्रतिवेदन की अंतिम तिथि परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा निश्चत प्रशिक्षण पूर्ण करने की तारीख के एक माह पश्चात तक की होगी।

(3) पाठ्यकम का प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कलेंडर सेमेस्टर के अंतराल सहित शैक्षणिक परिषद द्वारा घोषित किया जायेगा।

(4) एम.बी.ए. पाठयकम पूर्णता हेतु किसी भी विद्यार्थी को अधिकतम चार वर्ष का समय उपलब्ध होगा। अधिकतम समयावधि में वापसी, अनुपस्थित एंव विभिन्न प्रकार के प्रयोज्य, अवकाश शामिल होगें। परन्तु विद्यार्थी को कोई प्रतिबंध उक्त अवधि से बाह्य होगा।

(5) प्रत्येक सेमेस्टर के पारंभ में सभी विद्यार्थीगण अपना पंजीयन करायेगें। जो कि शैक्षणिक कलेंडर के निर्धारित समयावधि के भीतर होगा।

4. पाठयकम की संरचनाए :—

एम.बी.ए. पाठयकम की संरचना, परीक्षा प्रणाली, पाठयकम एवं कार्यकम, जैसा शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार होगा।

5. परिक्षाएं :—

(1) विश्वविद्यालय द्वारा उत्तरवती, पुर्नविलोकन, परीक्षा (पी.आर.इ) सेमेस्टर के दौरान एवं सेमेस्टर अंत परीक्षा (पी.एस.ई) विद्यार्थियो के कार्यो का आंकलन करने उसके अध्ययन कार्यकम के दौरान लगातार मूल्यांकन हेतु प्रणाली अपनायी जायेगी ।

(2) विस्तृत परीक्षा प्रणाली, सेमेस्टर अंत परीक्षा (ई एस ई) एवं उन्नती पुर्नविलोकन परीक्षा पी.आर.ई. पाठयकम के सभी अवयवो के लिये जैसा शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित किया गया है के अनुसार होगी।

(3) किसी विद्यार्थी को सेमेस्टर अंत परीक्षा दने से अयोग्य शालाध्यक्ष/केन्द्र संचालन द्वारा निम्नांकित कारणवश किया जा सकेगा।

अ. विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही;
ब. संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा संस्तुती करने पर;
1. सेमेस्टर में शैक्षणिक मण्डल के निश्चय अनुसार व्याख्यान/ शिक्षकीय/प्रायोगिक कक्षाओ में 75 प्रतिशत से न्यूनतम उपस्थिति।
2. सेमेस्टर के दौरान प्रगति पुनविलोकन परीक्षा (पी.आर.इ) अनुपालन असंतोषजनक पाया जाना।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा नियमित विद्यार्थियो के लिये प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में पूर्ण परीक्षा आयोजित की जावेगी। उक्त परीक्षा में वे योग्य विद्यार्थी भी शामिल हो सकेगें जो पिछले सेमेस्टर की परीक्षा के सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठयकम में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित रहे है।

(5) शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के लिये प्रगति, पुनर्विलोकन परीक्षा में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित रहने के बावजूद शैक्षणिक परिषद क अनुमोदन से परीक्षा में भाग लेने आयोजित कर सकेगें।

6. कार्य मूल्यांकन :—

(1) अंक आधारित;

(अ) प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी के कार्यो का मूल्यांकन पाठयकम के प्रत्येक अवयव को देखते हुये नियमित

मूल्यांकन सेमेस्टर के अंत परीक्षा (ई.एस.ई) एवं प्रगति पुर्नविलोकन परीक्षा (पी.आर.ई) के अनुसार किया जायेगा। पाठयकम में पाठयकम के प्रत्येक अवयव में अधिकतम अंक परीक्षा योजना की घोषणा शैक्षणिक परिषद द्वारा घोषणा अनुसार होगा।

(ब) कोई अभ्यर्थी पाठ्यकम के किसी अवयव में उत्तीर्ण हेतु पृथक से प्रगति, पुनविलोकन परीक्षा (पी.आर.ई) एवं सेमेस्टर के अंत परीक्षा (ई एस ई) पाठयकम अवयव में पृथक से उत्तीर्ण होना होगा।

(स) सेमेस्टर के अंत परीक्षा (ई एस ई) में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्ति हेतु एवं प्रगति, पुनर्विलोकन परीक्षा (पी.आर.ई) जैसा प्रत्येक पाठयकम हेतु शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित किया गया है, होगा

(द) यदि कोई विद्यार्थी प्रगति, पुनर्विलोकन परीक्षा (पी.आर.ई) में किसी सैद्धांतिक एवं या प्रायोगिक (प्रयोगशाला) में अनुर्त्तीण होता है उसे उस विषय के सेमेस्टर अंत परीक्षा भाग लेने हेतु अनुमति नहीं होगी।

(2) आंकलन का आधार;

(अ) एक घंटा का संपर्क व्याख्यान (एल) का आंकलन एक के बराबर होगा। दो घंटे का संपर्क व्याख्यान (टी) एवं /या प्रायोगिक (पी) का आंकलन एक होगा। अतः आंकलन = (एल + (टी + पो) /2) । किसी विषय का आंकलन उसके पूर्ण अंक अनुसार होगा न कि भिन्नांश। यदि किसी विषय में भिन्नाश मिलता है तो उसे निकटतम पूर्णांक माना जायेगा। औद्योगिक प्रशिक्षण का आंकलन उक्त अवधि मे शैक्षणिक परिषद द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

(ब) किसी अभ्यर्थी को किसी सेमेस्टर के लिये प्राप्तांक एवं आंकलन आबंटित तभी किया जाएगा जब वह उक्त सेमेस्टर में उत्तीर्ण हो।

(स) कोई अभ्यर्थी जिन्होने एक से अधिक विषयो में विश्वविद्यालय के अनुमोदित संस्था से कक्षा में उपस्थित होकर परीक्षा उत्तीर्ण किया है। वह परिवर्तन कार्यकम के तहत योग्यता प्राप्त किया है। विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी।

(द) वह अभ्यर्थी एम.बी.ए. डिग्री प्राप्ति के योग्य होगा जिसने केवल सभी योग्यताओ को प्राप्त कर प्रवेश लिया है।

7 <u>उपस्थिति</u> :—

कोई अभ्यर्थी नियमित छात्र के रूप में किसी सेमेस्टर परीक्षा हेतु 85 प्रतिशत उपस्थिति व्याख्यान एवं प्रायोगिक कक्षाओ पृथक पृथक विषय पाठयकम के लिये होगी। बशर्ते उपस्थिती में 5 प्रतिशत की कमी एवं पुनः 5 प्रतिशत छूट शाला प्रमुख एवं कुलपति विश्वविद्यालय कमशः द्वारा संतोषजनक कारण से किया जा सकेगा। फिर भी किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी जिसे 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति रही है, हेतु सेमेस्टर अंत परीक्षा में भाग लने शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्णित किया जा सकेगा।

8 <u>परियोजना एवं इंटर्नशिप मूल्यांकन</u> :—

परियोजना कार्य एवं इंटर्नशिप का मूल्यांकन शैक्षणिक परिषद के योजना के अनुसार किया जायेगा।

9 <u>कार्यकम का अंतराल</u> :—

विद्यार्थीगण को कार्यकम में अंतराल की अनुमति दिया जा सकेगा एवं उनके नौकरी को देखते हुये पाठयकम पूरा करने अवसर दिया जायेगा। परियोजना कार्य समयावधि व उसके पश्चात जो संगठन द्वारा दिया गया हो या विश्वविद्यालय में किया जायेगा। उक्त विद्यार्थी द्वारा अपना परियोजना कार्य पाठयकम के अधिकतम अवधि के दौरान पूर्ण कर लिया जायेगा। विद्यार्थियो को उसके इच्छानुसार किसी भी स्तर पर कार्यकम में अंतराल दिया जायेगा। जिससे वे परियोजना कार्य पूरा करें। परन्तु पश्चात समय के लिये शाला प्रमुख द्वारा अनुमति आवश्यक होगी।

10 <u>उद्योग या अन्य संगठन में परियोजना काय</u> :—

(1) संगठन से प्रायोजित अभ्यर्थी को प्रस्तावित क्षेत्र में कार्य करने की सुविधा दी जायेगी एवं वह विद्यार्थी जो उक्त संगठन से नौकरी प्राप्त है पाठयकम समय के पूर्णता पश्चात उन्हें उनके परियोजना में इंटर्नशिप कार्य करने की अनुमती दी जा सकती है।

(2) नियमित अभ्यर्थी कों परियोजना एवं इंटर्नशिप ख्याति प्राप्त संगठन में करने की अनुमती भी दी जा सकेगी।

(3) विद्यार्थी जिन्हे परियोजना एवं शोध कार्य किसी उद्योग या अन्य ख्याति प्राप्त संगठन में करने की अनुमति दी गयी है उन्हे विश्वविद्यालय को उक्त कार्यावधि के लिये शैक्षणिक एवं अन्य

शुल्क अदा करना होगा । उन्हें कोई वजीफा / छात्रवृत्ति / अधिछात्रवृत्ति विश्वविद्यालय से प्राप्ति की योग्यता नहीं होगी। यदि वे उक्त उद्योग/संगठन से परियोजना/इंटर्नशिप कार्य हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हो।

11 श्रेणी प्रणाली का आधार :-

(1) प्रत्येक विषय में श्रेणी का आंकलन संबंधित विषय एवं शैक्षणिक नीति समिति द्वारा अनुशंसा से होगी जिसे शैक्षणिक परिसर एवं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। किसी सेमेस्टर में केवल अनुमोदित पाठ्यक्रम ही प्रस्तावित किया जा सकेगा।

(2) प्रत्येक विद्यार्थी को किसी पाठयक्रम में पंजीकृत होने के लिए उसे लेटरग्रेड श्रेणी प्रदान किया जावेगा। किसी विद्यार्थी को लेटर ग्रेड उसके संयुक्त प्रदर्शन सेमेस्टर अंत परीक्षा (ई.एस.ई) एवं प्रगति, पुर्नविलोकन परीक्षा (पी.आर.ई) के आधार पर होगा।

(3) लेटरग्रेड का उपयोग एवं उसके संख्या सूचक बराबर (ग्रेड प्वांइट) कहा जावेगा। जो शैक्षणिक परिसर के विनियमन अनुसार होगी।

(4) लेटर ग्रेड का प्रदाय प्रत्येक विषय सैद्धांनिक या प्रयोगिक एवं प्रत्येक अवयव पाठयकम के लिये पथक से होगा।

(5) सेमेस्टर गड प्वांईट औसतन (एस.जी.पी.ए) किसी सेमेस्टर के लिये औसतन पाठयकम ग्रेड प्वाइंट किसी विद्यार्थी द्वारा किसी सेमेस्टर में उसके प्रदर्शन के आधार पर होगा। एस.जी.पी.ए.
प्रत्येक सेमस्टर के लिये सी.जी.पी.ए. का आंकलन शैक्षणिक परिषद के विनियमन अनुसार होगा।

(6) संयुक्त ग्रेड प्वांइट औसतन (सी.जी.पी.ए.) पाठयकम के औसतन ग्रेड प्वाइंट किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सभी पाठयकम में उसके प्रवेश डिगो कार्यकम होगी जो उसका संयुक्त प्रदर्शन दर्शायेगा। सी.जी.पी.ए. एन जी सेमेस्टर के अंत में आंकलन किया जायेगा जो शैक्षणिक परिषद के विनियमन अनुसार होगा।

(7) प्रत्येक सेमेस्टर के अंत मे एस.जी.पी.ए. एवं सी.जी.पी.ए. का आंकलन दशमलव के 2 अंकों तक संपूर्ण संख्यांक किये होगा।

(8) किसी विशेष विषय में उत्तीर्ण होने न्यूनतम ग्रेड एवं ग्रेड प्वाइंट का निर्धारण शैक्षणिक परिषद के विनियमन अनुसार होगा।

(9) किसी विद्यार्थी का सभी आंकलन उसे आबंटित विशेष विषय जहॉ उसने उत्तीर्ण किया हो से किया जायेगा।

(10) किसी व्यक्ति को डिग्री प्रदाय करने न्यूनतम सी.जी.पी.ए. प्राप्त करना होगा, जिसके संबंध में शैक्षणिक परिषद द्वारा विनियमन तैयार किया गया है ।

(11) अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के अंत में अंतिम परीक्षा ग्रेड सीट पाठ्यक्रम हेतु सी.जी.पी.ए. दर्शित अनुसार होगा। सी.जी.पी.ए. द्वारा इस संबंध में समकक्ष प्रतिशत अंक प्राप्तांक के बराबर संपरिवर्तन किया जा सकेगा जो शैक्षणिक परिषद द्वारा बनाये गये विनियमन अनुसार होगा।

12 प्रतिलिपि :—

किसी विद्यार्थी को पाठयकम पूर्ण किये जाने के पश्चात संयुक्त अभिलेख संपूण पाठयकम, सेमेस्टर अनुसार उसे प्राप्त ग्रेड एस.पी.जी.ए. एवं अंतिम सी.जी.पी.ए. की प्रतिलिपि दी जायेगी ।

13. यह कि प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि एम.बी.ए. उपाधि हेतु अध्ययन पाठ्यकम, कम से कम सुसंगत विनियमों / यू.जी.सी. या संबंधित संवैधानिक निकायो, जैसी भी स्थिति हो, के मापदण्डों द्वारा नियत मानक के अनुरूप हो।

ओ.पी.जिन्दल विश्वविद्यालय रायगढ, छत्तीसगढ़

अध्यादेश कमांक 08

योजनाओ के संचालन का पुर्नमूल्यांकन एवं परीक्षण प्रमुखता सभी बैचलर /मास्टर डिग्री एवं पूर्व स्नातक /स्नातकोत्तर डिप्लोमा निम्नांकित सेमिनार प्रणाली

(अधिनियम की धारा 28 (1) (इ) के अंतर्गत्)

---

1 प्रयोज्यता :–

यह अध्यादेश सभी पाठयकम जिसमें सभी स्नातक, स्नातकोत्तर, डिग्री तथा पूर्व स्नातक/स्नातकोत्तर,डिप्लोमा, निम्नांकित सेमेस्टर प्रणाली (इसके अतिरिक्त अन्य कार्यकम पृथक से अध्यादेश में अधिसूचित किया गया है।)

2 परिभाषाएँ :–

(1) शैक्षणिक पाठयकम का आशय पाठयकम किसी अन्य अवयव विशेषकर स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर एवं पूर्वस्नातक डिप्लोमा से है।

(2) सेमेस्टर प्रणाली का आशय वह पाठयकम जो प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में विभिन्न विषयो के लिये सामान्यतः प्रत्येक छह माह समयावधि शिक्षा, प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, केप भंडारण, आदि के लिये है।

(3) शिक्षण मण्डल (बी.ओ.एस.) का आशय शिक्षण मण्डल संबंधित विषय/स्कूल से है।

(4) पाठयकम का अर्थ शैक्षणिक पाठयकम का अवयव जहॉ प्रणीण्यता कोड एवं विशिष्ट प्रवृत्ति के लिये है।

(5) बाहय परोक्षक का अर्थ वह परीक्षा जो विश्वविद्यालय के नियोजन में नहीं है।

(6) विद्यार्थी का अथ वह व्यक्ति जो इस अध्यादेश के तहत इस संस्था/स्कूल में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकम के तहत प्रवेश लिया है ।

3 परोक्षाए :–

(1) विश्वविद्यालय द्वारा सभी शैक्षणिक कार्यकम जिसे शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है एवं समय समय पर स्नातक,

स्नातकोत्तर, डिग्री, पूर्वस्नातक/स्नातकोत्तर डिप्लोमा जैसा भी प्रकरण में निर्धारित कार्यक्रम शिक्षण एवं परीक्षा तथा शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित पाठयक्रम के तहत अधिसूचित किया गया है में परीक्षा लिया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा नियमित विद्यार्थी जैसा कि वह विश्वविद्यालय के पाठयक्रम के तहत विशेष अवधि हेतु शिक्षण एवं परीक्षा तथा पाठयक्रम कार्यक्रम में संलग्न है के लिये लिया जायेगा।

(3) बशर्ते शैक्षणिक परिषद द्वारा अन्य वर्गो के विद्यार्थी जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेष शैक्षणिक पाठयक्रम विषय के लिये परीक्षा लिया जायेगा एवं जो शैक्षणिक परिषद के प्रावधान अनुसार समय समय पर शर्ते पूरी करते हो।

परंतु यह कि कोई विद्यार्थी जिन्हे सेमेस्टर अंत परीक्षा में शामिल होने से विलग किया गया है खण्ड 08 अध्यादेश के अनुसार यह अन्य अध्यादेश इस विश्वविद्यालय के अनुसार हो।

4 पाठयक्रम का विषय एवं अवधि :–

(1) स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री या पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम में बहुत से विषयो को समाहित किया गया है एवं या अन्य अवयव जिसे शिक्षण एवं परोक्षा तथा संबंधित पाठयक्रम के तहत विशेषित किया गया है शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित हुआ हो। प्रत्येक पाठयक्रम में विशेष योग्यता उसके कार्य कुशलता अनुसार दी जायेगी।

(2) पाठयक्रम के पूर्णता हेतु न्यूनतम अपेक्षित समयावधि विशिष्टतया शैक्षणिक एवं परीक्षा तथा संबंधित पाठयक्रम अनुसार होगी।

(3) पाठयक्रम हेतु अधिकतम समयावधि शैक्षणिक परिषद के विनियमन अनुसार होगी।

5 सेमेस्टर :–

(1) पाठयक्रम के मूल्यांकन एवं परीक्षा कार्य को कलेंडर अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित किया जायेगा जो शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ के पूर्व प्रत्येक सेमेस्टर के लिये होगी।

(2) सेमेस्टर में शैक्षणिक अंतराल –निर्देशानुसार कार्यो पर निर्भर होगा जो संबंधित कार्यक्रम हेतु अध्यादेश के तहत किया जायेगा।

6 शैक्षणिक कार्यकम समिती :-

(1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक विषय/ अध्ययन शाला/ विश्वविद्यालय केन्द्र में शैक्षणिक कार्यकम समिती स्थापित होगी।

(2) सभी प्रोफेसर विषयो /अध्ययनशाला /केन्द्र द्वारा शैक्षणिक कार्यकम समिति की स्थापना की जायेगी जिसमें उस संस्था के प्रमुख /अध्ययनशाला /केन्द्र संचालक उसके अध्यक्ष होगें। यह समिति प्रत्येक पाठयकम में अधिकतम सुविधाओ का उपयोग संचालन, मूल्यांकन लागू एवं परोक्षा में सहयोग करेगी।

(3) शैक्षणिक कार्यकम समिती द्वारा विश्वविद्यालय के संबंधित विषय प्रमुख /शाला अध्ययन मण्डल के कार्यो का निष्पादन करेगी।

(4). शैक्षणिक कार्यकम समिति अपेक्षानुसार कम से कम पत्येक सेमेस्टर में एक बार बैठक करेगी। बैठक में समिति के अध्यक्ष द्वारा उदबोधन किया जायेगा।

7 परोक्षा शुल्क :-

कुलसचिव द्वारा विभिन्न परीक्षाओ हेतु विद्यार्थियो से देय परोक्षा शुल्क अधिसूचित किया जायेगा जो कुलपति द्वारा अनुमोदित होगी जो विद्यार्थी निर्धारित शुल्क परोक्षा प्रारंभ के पूर्व अदा नहीं किया है वह सामान्यतः परोक्षा देने का पात्र नहीं होगा।

8 उपस्थिति :-

(1) कोई विद्यार्थी जिन्हे न्यूनतम 85 प्रतिशत या इससे अधिक उपस्थिति या शैक्षणिक परिषद के द्वारा तय की उपस्थिति प्राप्त है उसे शैक्षणिक परिषद के निश्चय अनुसार सेमेस्टर के सभी विषया में शामिल होने की पात्रता है। बशर्ते विषय प्रमुख/शाला द्वारा 5 प्रतिशत व्यक्तिगत विद्वार्थी पर कम उपस्थिति का कारण दर्ज किया गया नहीं हो पुनः 05 प्रतिशत की क्षमा कुलपति द्वारा की जा सकेगी। फिर भी विद्यार्थियो के लिये ऐसा कोई शर्त नहीं है कि यदि उन्हे 75 प्रतिशत से कम उपस्थिती हो तो भी शैक्षणिक परिषद द्वारा किसी सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने अनुमति दिया जा सकता है।

(2) कोई विद्यार्थी जिन्हे उपस्थिति कम होने के कारण विलग कर दिया गया है उसे आगामी सेमेस्टर में शामिल होने अनुमति नहीं होगी। उससे अपेक्षा होगी कि वह उक्त सेमेस्टर हेतु पुर्नप्रवेश कर नये छात्रो के साथ पाठयकम दोहराये ।

(3) विषय प्रमुख /स्कूल द्वारा ऐसी सभी विद्यार्थियो का नाम घोषित किया जायेगा जो सेमेस्टर अंत परीक्षा में भाग लेने योग्य नहीं है। उन्हे सेमैस्टर परिक्षा के प्रारंभ एवं अंत के बारे में तथा साथ ही साथ परीक्षा नियंत्रक द्वारा सूचित किया जायेगा।

ऐसी स्थिति में जहॉ विद्यार्थी चूककर्ता हो उन्हे विषय /शाला द्वारा परिणाम से विलग कर दिया जायेगा।

9 मूल्यांकन एवं परीक्षा :–

(1) पाठयकम शिक्षण एवं परीक्षा का संपूर्ण विनिश्चय योग्यता अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(2) पाठयकम में विद्यार्थी के मूल्यांकन के लिये दो अवयव विशेषतः है शिक्षण एवं परीक्षा तथा पाठयकम प्रणाली अपनाया गया है।

1. मूल्यांकन द्वारा सेमेस्टर अंत परीक्षा
2. लगातार मूल्यांकन पाठयकम शिक्षक द्वारा

(3) विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि आवश्यकता अनुरूप शिक्षक द्वारा लगातार मूल्यांकन कर रिकार्ड प्राप्त करे।

(4) सेमेस्टर अंत प्रायोगिक परीक्षा के लिये प्रत्येक प्रयोग परोक्षा, मण्डल द्वारा संचालित किया जावेगा मण्डल द्वारा इस संबंध में एक या दो परोक्षा पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सकेगा ।

(5) किसी भी प्रकार की परोक्षा के लिये संचालन संहिता बनायी जाएगी जो परीक्षा नियंत्रण द्वारा निश्चित किया जायेगा। उक्त हेतु अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसा एवं कुलपति द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।

(6) विभिन्न मूल्यांकन अवयव के योग्यता हेतु अध्यादेश में प्रावधान किया गया है।

(7) पाठयकम के किसी अन्य अवयव उपरोक्त कम में नहीं आते है इसे अध्ययन मण्डल /पाठयकम समन्वय समिती द्वारा निर्धारित किया जायेगा। जिसके लिये कुलपति का अनुमोदन हो।

10 सेमेस्टर अंत परीक्षा संचालन :–

(1) परीक्षा नियंत्रक द्वारा कार्यकम स्वयं तैयार किया जायेगा। जिसके तहत विशेष परीक्षा समयानुसार संचालित हो एवं परीक्षा हेतु आवेदन पत्र शुल्क प्राप्त किया गया हो।

(2) परोक्षा का निश्चय परीक्षा नियंत्रक द्वारा सेमेस्टर परीक्षा के प्रथम दिवस से कम से कम दो सप्ताह पूर्व अधिसूचित किया जायेगा।

(3) सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा एवं मौखिक, शोध प्रबंध सार परियोजना प्रतिवेदन आदि सभी परीक्षाए अध्यक्ष , अध्ययन मण्डल द्वारा कुलपति के अनुमोदन से लिया जायेगा।

परंतु यह कि कुलपति को विवेकाधिकार होगा कि वह अध्यक्ष शिक्षण परिषद हेतु प्राधिकारी नियुक्त कर सके।

(4) परोक्षा नियंत्रक द्वारा विषयप्रमुख /स्कूल से परामर्श पर कोई परोक्षा केन्द्र, केन्द्र अधीक्षक परीक्षा एवं सहायक अधीक्षक परिक्षा यदि कोई की नियुक्ति करे। जिससे प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में मार्गदर्शन हेतु निदश जारी किया जा सके।
परंतु यह कि सहायक अधीक्षक परोक्षा केन्द्र की नियुक्ति का उददेश्य उस केन्द्र में कम से कम 200 विद्यार्थी शामिल हो।

(5) परोक्षा अधीक्षक की जिम्मेदारी प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के लिये व्यक्तिगत रूप से होगी, कि वह प्रश्न पत्रो एवं उत्तर पत्रो को सरक्षात्मक रूप से परीक्षा नियंत्रक को पूर्ण लेखा के साथ उपयोग एवं अनुपयोगी प्रश्न पत्रो एवं उत्तरपुस्तिका के साथ भेजे ।

(6) केन्द्र अधोक्षक द्वारा निरीक्षको के कार्य का पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशो का कडाई से पालन कराया जायेगा।

(7) केन्द्र अधीक्षक परीक्षा द्वारा जब भी आवश्यकता हो परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा के संचालन एवं निरीक्षको को कौशल प्रर्दशन एवं परीक्षार्थियो के सामान्य व्यवहार की सुचना का एक गुप्त प्रतिवेदन भेजा जायेगा। उसके द्वारा दैनंदिनी प्रतिवेदन परीक्षार्थियो जिन्होने प्रत्येक परीक्षा में भाग लिया हो, अनुपस्थित एवं अन्य सूचनाए परीक्षा से संबंधित केन्द्र पर हुई हो अन्य मामलो के साथ जैसा वह उचि समझता हो विश्वविद्यालय के संज्ञान में लायेगा। वह परीक्षा के संचालन हेतु व्यवस्था के लिये अग्रिम राशि एवं खर्च का ब्यौरा परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय को देगा।

(8) केन्द्र अधीक्षक को अधिकार होगा कि वह किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षाधीन दिवस में निम्नांकित आधारो पर परीक्षा से विलग करेगा।

(1) यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में उपताप या गंभीर व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा हो।

(2) यह कि परीक्षार्थी द्वारा परोक्षा निरीक्षक से आकमक, गंभीर रवैया अपनाया गया हो या परीक्षा संचालक के किसी सदस्य को परोक्षा कार्य में बाधित किया जा रहा हो।

(9) यदि आवश्यक हो अधीक्षक द्वारा पुलिस सहायता ली जा सकेगी जहॉ परोक्षार्थी व्यक्ति द्वारा अप्रिय व्यवस्था उत्पन्न की जाती हो । उसे इस संबंध में परोक्षा नियंत्रक को तत्काल ही घटना की जानकारी देनी होगी ।

(10) उसके द्वारा किसी विषय/शिक्षण शाला के शिक्षक को अन्यथा निर्देश नहीं दिया जायेगा जब तक अधीक्षक द्वारा उसे निरीक्षक नियुक्त न किया गया हा।

(11) अधीक्षक का कर्तव्य है कि वह उसी व्यक्ति को परीक्षार्थी के रूप में शामिल होने अनुमति देवे जिन्होने इस हेतु आवेदन किया हो । उसके आवेदन में फोटोग्राफ हस्ताक्षर प्रारूप परीक्षक हाल में जॉच हो।

(12) परीक्षा नियंत्रक द्वारा केन्द्र अधीक्षक के अनुशंसा पर कोई लिपिक नियुक्त किया जा सकेगा जो ऐसे परिक्षार्थी जो परोक्षा में उत्तर पुस्तिका में लिखने में असमर्थ हो उसकी सहायता करे, जिसे कम दिखायी देता हो या अचानक बीमार हो गया हो उसकी मदद करे। चाहे वह व्यक्ति पुरूष /महिला हो तथा परीक्षा के कम से कम एक कक्षा नीचे तक योग्यता रखता हो।

(13) अध्यादेश के प्रावधान अनुसार विषय में शैक्षणिक परिषद द्वारा समय समय पर विकल्प या रूपांतर नियम एवं प्रकिया परीक्षा संचालन के लिये लगायी जा सकेगी।

11 परिणाम समिति :–

(1) परिणाम समिती एवं घोषणा समिति प्रत्येक विषय /अध्ययन शाला में होगा। यह समिति शैक्षणिक परिषद द्वारा बनायी जाएगी।

(2) परिणाम समिति का निम्नांकित कार्य होगा;

(अ) परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रकाशन हेतु संपूर्ण परिणाम तैयार करना ।

(ब) प्रश्न पत्र के विरूद्ध शिकायतों पर जॉच करना एवं आवश्यक कार्यवाही करना।

(स) अन्य अधिकार का प्रयोग करना जिसे समय समय पर शक्षणिक परिषद द्वारा उन्हे दिया गया हो।

(3) यदि परोक्षक, केन्द्र अधोक्षक, या निरीक्षक के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी हो उसे अध्यक्ष, शैक्षणिक परिषद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(4) शैक्षणिक परिषद के विनियमन अनुसार परिणाम तैयार एवं मूल्यांकन करना।

(5) विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में नियमित विद्यार्थियो के लिये परीक्षा संचालन किया जायेगा। यह परीक्षा से विद्यार्थियो को योग्यता होगी कि वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुये, असफल या पूर्व सेमेस्टर परीक्षा चूक की है।

(6) विद्यार्थियो को उच्चतर सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जायेगा। जैसा कि समय समय पर इस संबंध में शैक्षणिक परिषद द्वारा विनियमन जारी किया गया है।

(7) शैक्षणिक परिषद द्वारा अन्यथा निर्णय के अलावा उत्तर पुस्तिका एवं दस्तावेज परिक्षार्थी के अंक प्राप्ति संबंधी सिवाय परिणाम सारणी का निराकरण परीक्षा तारीख से 06 माह पश्चात करेगा।

(8) शैक्षणिक परिषद द्वारा विनियमन द्वारा परीक्षा नियंत्रक को प्राधिकार दिया जायेगा कि वह परिक्षा परिणाम प्रकाशित करे। एवं इलेक्ट्रानिकली प्रदर्शित करे जैसा कि विश्वविद्यालय परीक्षा के लिये परिणाम समिती द्वारा जारी करे। यह परिणाम एक साथ संबंधित शिक्षण शाला प्रमुख द्वारा प्रकाशित किया जायेगा ।

(9) परोक्षक, केन्द्र अधीक्षक, सहायक केन्द्र अधीक्षक एवं निरीक्षक को पारिश्रमिक राशि शैक्षणिक परिषद द्वारा विनियमन के अनुसार देय होगी।

12 परोक्षा के दौरान :–

(1) कोई परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ के प्रथम आधा घंटा में किसी कारणवश परीक्षा छोड़कर नहीं जायेगा तथा परीक्षा प्रारंभ के 15 मिनट विलंब आने पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी।

(2) परीक्षार्थी को परीक्षा के दौरान अधिकतम पॉच मिनट समय परिक्षा हॉल छोडने की अस्थाई अनुमति दी जायेगी। यदि वह पॉच मिनट के भीतर नहीं होता है तो उसे दर्ज किया जायेगा एवं परोक्षा देने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करे।

(3) परोक्षार्थी को परिक्षा के दौरान बात चीत करने की इजाजत नहीं होगी। यदि ऐसा किया जाता है तब उसे परोक्षा निरीक्षक द्वारा चेतावनी दी जायेगी साथ ही परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका भी वापस भी ली जा सकेगी एवं उसके स्थान पर दूसरी उत्तर पुस्तिका प्रदाय की जायेगी। उक्त दूसरी उत्तर पुस्तिका को ही मूल्यांकन के लिये भेजा जायेगा। प्रथम उत्तर पुस्तिका निरस्त किया जाकर नियंत्रक परोक्षा व अधोक्षक को भेजा जायेगा।

(4) अधीक्षक द्वारा परीक्षा हाल एवं परीक्षा परिसर में जॉच की जा सकेगी कि किसी परीक्षार्थी द्वारा कोई सहायता एवं अनुचित साधन अपनाया जा रहा हो जो निम्नानुसार है :–

(क) परीक्षार्थी को आपत्तिजनक सामाग्री सुपुर्द करने जो उसके पास कब्जे में हो जिसमें उत्तर पुस्तिका भी शामिल है एवं उक्त समय तारीख पर ज्ञापन तैयार किया जायेगा ।

(ख) परीक्षार्थी एवं परोक्षक दोनो का कथन दर्ज किया जायेगा।

(ग) परीक्षार्थी को नई उत्तर पुस्तिका जिसमें द्वितीय प्रति अनुचित साधन लिखकर जारी की जायेगी। जहॉ परीक्षा की शेष समयावधि के भीतर वह उत्तर तैयार करेगा।

(घ) सभी सामग्रिया को इकट्ठा किया जाकर बतौर साक्ष्य परोक्षार्थी का कथन एवं उत्तरपुस्तिका उसके हस्ताक्षर युक्त नियत्रक परीक्षा के पास उसके नाम से भेजा जायेगा, जहॉ उसे सीलबंद रजिस्टर्ड पैकेट में रखकर अनुचित साधन लिखकर अधोक्षक के मातहत रखा जायेगा।

(ङ) परीक्षार्थी से सामग्री एकत्रित कर उसके उत्तर पुस्तिका सहित जिसमें अनुचित साधन अपनाया गया हो तथा अन्य सहित परीक्षा नियंत्रक को भेजा जायेगा, जहॉ दोनो उत्तर पुस्तिका का पृथक मूल्यांकन किया जायेगा एवं प्रतिवेदन भेजा जायेगा कि क्या वास्तव मे जप्त सामग्री को देखते हुए परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधन का उपयोग किया गया है।

(च) परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग किये गये प्रकरण में कन्द्र अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन परीक्षक द्वारा समिती को भेजा जावेगा जिसे शैक्षणिक परीषद द्वारा इस उद्देश्य के लिये नियुक्त किया गया है।

(छ) समिति द्वारा प्रकरण में परीक्षण पश्चात निश्चय किया जायेगा एवं प्रत्येक प्रकरण में शैक्षणिक परिषद को प्रतिवेदन भेजा जायगा जहॉ ऐसे सभी मामलो में अनुचित साधन अपनाया गया हो।

(ज) निम्नानुसार प्रकरण को देखते हुये परीक्षा हाल में अनुचित साधन अपनाये जाने के विरूद्ध गंभीरता को देखते हुये दण्ड निर्धारित किया जायेगा।

वर्ग–अ– परीक्षार्थी के सैद्धांतिक पत्र की परोक्षा निरस्त कर दी जायेगा। जहाॅ वह अनुचित साधन का उपयोग करते पाया गया हो।

वर्ग–ब– वर्तमान सैद्धांतिक पूर्ण परोक्षा निरस्त कर दी जायेगी।

वर्ग–स–वर्तमान परीक्षा पूर्ण रूप से निरस्त कर दी जायेगी तथा परीक्षार्थी को आगामी परीक्षा में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा। एवं तदानुसार अभ्यर्थी आगामी सेमेस्टर/वर्ष में प्रवेश नहीं ले सकेगा।

वर्ग–द– वर्तमान परीक्षा पूर्ण रूप से निरस्त कर दी जायेगी एवं परीक्षार्थी को आगामी 02 परीक्षा के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

वर्ग–ई– वर्तमान परीक्षा पूर्ण रूप से निरस्त कर दी जायेगो एवं परीक्षार्थी को आगामी तीन परीक्षा के लिये वंचित कर दिया जायेगा। तथा पुलिस थाना में परीक्षार्थी के विरूद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे उसके विरूद्ध दांडिक प्रकिया की कार्यवाही की जायेगो।

13 शोध निबंध/शोध प्रबंध :–

शोध निबंध/शोध प्रबंध स्नातकोत्तर डिग्री पाठयकम के लिये विशेष कार्यकम के लिये आंतरिक परीक्षक के मूल्यांकन अनुसार समिती द्वारा प्रदत्त अंक के आधार पर साधारणतः पर्यवेक्षक एवं एक या अधिक बाह्य परीक्षक होगें। कुलपति द्वारा पैनल के तीन या उससे अधिक के लिये दिये गये परामर्श अनुसार परीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।